

30.10.2023

पत्रावली पेश हुई। परिवादी की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री गोविन्द राम शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुना। स्वीकार। अभियुक्त उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी महोदया अवकाश में है। पत्रावली वास्ते हाजिरी हेतु दिनांक 19.12.2023 को पेश हो।

प्रभारी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।

30.10.2023